17.06.22

अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि प्रकरण वादी ने फर्जी कूटरचित एवं अनरस्टिर्ड वसीयत तारीख 20.10.2020 के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 0.5817 है0 बाके ग्राम सांडा का नाजायज रूप से हडपने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया हैं, जिसमें वादी ने राजस्व न्यायालय से तथाकथित वसीयत की वैधता के परीक्षण का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में तथाकथित वसीयत की वैधता का परीक्षण किये बिना अन्य कोई अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता है। तथाकथित वसीयत की वैधता का परीक्षण मात्र सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता हैं प्रकरण अपने वर्तमान स्वरूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विधि द्वारा वर्जित है उन्होने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार नही है आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 0.5817 है0 बाके ग्राम सांडा की वसीयत स्व0 दौजी ने अपने जीवनकाल में वादी की सेवाओ से प्रसन्न होकर स्वस्थ्य चित्त स्थिर बुद्वि की अवस्था में तारीख 20.10.2020 को वादी के हक में निष्पादित की हैं जो पूर्णतः सही व सत्य है किसी भी प्रकार से जाली व फर्जी नही है और न ही कूटरचित है। राजस्व न्यायालय को वसीयत की वैधता का परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वसीयत की वैधता का परीक्षण न्यायालय को भी प्राप्त है चूंकि यह विधि एवं तथ्य का मिश्रित बिन्दू है जिसे तनकीयात कायम कर साक्ष्य परीक्षण से मैरिट पर तय किया जा सकता हैं वाद किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

से बाधित नही हैं उन्होने प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपने तर्को में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के पिता से सादा कागज पर कूटरचित एवं फर्जी वसीयत तैयार कर तथाकथित वसीयत के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत स्वत्व की घोषणा एवं 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत विधि वर्जित है। वादी को वसीयत को प्रोवोट कराये बिना अपंजीकृत वसीयत के आधार पर कृषि भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादी प्रतिवादीगण के परिवार का सदस्य नहीं है वह प्रतिवादीगण के परिवार से अलग व्यक्ति है जिसका प्रतिवादीगण एवं उनके पिता से किसी प्रकार का संबंध नही है, वादी के द्वारा तथाकथित वसीयत कूटरचित एवं फर्जी तौर पर प्रतिवादीगण के मृत पिता की आराजी को हड़पने की नीयत से तैयार की गई है। वसीयत के संबंध में निर्णय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नही की जा सकती इस प्रकार वादी द्वारा तथा कथित वसीयत के आधार पर प्रस्तुत वाद पोषनीय नही है उन्होने अपने तर्को में न्यायिक दृष्टान्त 2019 आरआरटी पेज 194 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार कर दावा वादी इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा प्रतिवादीगण के तर्को को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि मृतक दौजी जिसके द्वारा जिस कृषि भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की गई है वह कृषि भूमि मृतक दौजी की स्वअर्जित भूमि थी और वादी की सेवा से प्रसन्न होकर स्वेच्छा से स्वस्थ चित से उन्होने दिनांक 20.10.2020 को वसीयतनामा तहरीर किया गया दौजी का देहान्त हो चुका है तथा मुताबिक वसीयत विवादित कृषि भूमि पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रोवोट कराया जाना आवश्यक नहीं है प्रकरण में वसीयत कर वैधता का विवाद है जिसे राजस्व न्यायालय के द्वारा तनकीयात कायम कर तय किया जा सकता है। तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित नही है उन्होने अपने तर्को में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2011 पेज 1395, आरआरडी 2011 पेज 491 एव डीएनजे 2013 पेज 324 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से अपंजीकृत वसीयत दिनांक 20.10.2020 के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत प्रकरण में विवादित कृषि भूमि पर अपने अधिकारो की घोषणा हेतु तथा धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा कथाकथित वसीयत को फर्जी व कूटाचित बताते हुए अपंजीकृत वसीयत का निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना बताते हुए वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होना कथन किया है। प्रकरण में प्रस्तुत कथाकथित वसीयत दिनांक 20.10.2020 एक अपंजीकृत दस्तावेज है जिसको प्रतिवादीगण के पिता मृतक दौजी के द्वारा

वादी के पक्ष में तहरीर किया जाना दर्शाया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में यह नही दर्शाया है कि वसीयत करनेवाले से उसका क्या संबंध रहा है अपंजीकृत वसीयत लिखने के लिए यह जरूरी है कि वसीयत में हर सम्पत्ति का ब्यौरा दर्शाया जावे वसीयत में समूचे परिवाद का जिक्र किया जाना आवश्यक है तथा परिवाद के सदस्यो के नाम वसीयत तहरीर नही की जाती है तो इसका पूर्ण कारण अंकित होना एवं परिवार से अलग व्यक्ति के नाम वसीयत तहरीर की जाती है तो कारण सहित जिक्र अंकित किया जाना आवश्यक है वसीयत पर दो गवाह जिनके पूर्ण नाम व पते अंकित किया जाना आवश्यक है । वादी के द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर कृषि भूमि पर स्वत्वो की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि कथाकथित वसीयत की जांच के बिना राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी के अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती कथाकथित वसीयत की वैधता का परीक्षण सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है जैसा कि प्रतिवादीगण के अभिभाष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आरआरटी 2019 पेज 184 पर अवधारित किया गया है। दौराने बहस वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायित दृष्टातो से हम सहमत नही है और प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्को एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से सहमत होते हुऐ प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार कर दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)